

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिप्रेक्षण 1353

परिशिष्ट 'तीस'

[20/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 5740]

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश


क्रमांक 1195 / 11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,

भू-अभिलेख शाखा

कलेक्ट्रेट जिला - **अनूपपुर**  
(म.प्र.)



ग्वालियर दिनांक 14/6/2012

TL 22612

- विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की धोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वायत।
- संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
- (2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 16.4.2012.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जायेः-

- (अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये।
- (ब) प्रथम बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये।
- (स) प्रथम बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से जिलें चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें।

अतः उपरोक्त अ.ब.स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विद्वित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ, आंचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हों, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने वायत आदेशित किया जाता है।

संकेत आयुक्त  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त  
मध्य प्रदेश

400  
21/6/12

R.P.M.  
A.S.L.R. 26-6-12

101  
26.6.12

क्रमांक

/11भृ.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012

ग्यालियर दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1- कलेक्टर जिला स्वमरम्भन म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विषयांकित जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।
- 2- क्षेत्रीय उप \*आयुक्त भृ-अभिलेख जिला स्वमरम्भन म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

स्वाक्षर

संयुक्त आयुक्त  
भृ-अभिलेख एवं बन्दोबस्त  
मध्य प्रदेश